जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1173 दिनांक 24/6/22

विज्ञप्ति

श्री नानूराम पुत्र श्री सूरजाराम द्वारा श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार के भूखण्ड संख्या 331 के नियमन हेतु समिति के आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण–पत्र, साईट प्लान के आधार पर करने हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन समिति द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में आवेदित भूखण्ड/आवंटी का नाम अंकित नहीं है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नियमन आवेदक के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति जोन कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

PRO/R-734
27/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 3701 दिनांक– 24.6.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए–163	311.11 व.ग.	उदय एनक्लेव	श्री सूमित कुमार पुत्र श्री भूषण प्रसाद सिंह	श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री शंकर लाल शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं विक्रय पत्र के आधार पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति / हितधारी / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

sd

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

PRO/R-735
27.6.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा / उपा. / जोन—12 / 2022 / डी— 1354 दिनांक 15-6-22

—: सार्वजनिक सूचना :—

हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना फतेह नगर (न्यू कॉलोनी) के भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	27	200.00	फतेह नगर (न्यू कॉलोनी)	श्री किरण सिंह पुत्र श्री किशन सिंह	—	श्री किरण सिंह राठौड पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी—नया कॉलोनी, फतेहपुर, जाहोता, जयपुर।

आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड के सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद किरण सिंह पुत्र श्री किशन सिंह के नाम जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड का सदस्यता सूची क्रमांक 25 पर भू.स. व नाम अंकित है के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन—12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन—12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः—

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. श्री किरण सिंह राठौड पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी—नया कॉलोनी, फतेहपुर, जाहोता, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि प्रश्नगत भूखण्ड के सबंध में इकरारनामा / विक्रय पत्र नही किया गया है।

PRO/R-736
27.6.22

उपायुक्त जोन—12
जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के जो **आवासीय से व्यावसायिक** भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का **आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन** कर दिया जावेगा।

क्र.स.	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री राकेश सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह बदनपुरा फकीरों की डूंगरी सहकारिता समिति लि. सुन्दर नगर	ए-227	429.73
2.	श्री ओम प्रकाश यादव श्री कानाराम यादव श्री कमल कुमार यादव पुत्र श्री श्योजी राम यादव बदनपुरा फकीरों की डूंगरी सहकारिता समिति लि. सुन्दर नगर	ए-22	307.22

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।
यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 1201 / 23.06.22

PRO/R-737
27.6.22

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी– 3256 दिनांकः– 21-6-2022

–:सूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	जितेन्द्र कुमार सचदेवा पुत्र श्री जयदयाल सचदेवा (बन्धु गृ.नि.स.स.लि. की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	01, 02, 03, 17, 18, 27, 27A, 28 & 29,	2633.37

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRNR-738
27.6.22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3249 दिनांकः– 17.6.2022

–:सूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री रामबाबू सोनी (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना परसराम नगर)	07	208.97
2	श्री विक्रम पाल सिंह पुत्र स्व. श्री धर्मचन्द (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना परसराम नगर)	17	215.13

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-739
27.6.22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक: जविप्रा / उपा. / जोन–9 / 2022 / डी– 3705 दिनांक 27.6.2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पिंकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या–344, 345, 361 व 362 की देवेन्द्र मदान पुत्र स्व. श्री दास राम मदान के नाम से दिनांक 28.01.2013 को लीजडीड जारी की गई है इसके पश्चात जोन–9 कार्यालय के पत्र क्रमांक डी–7755 दिनांक 25.10.2013 को भूखण्ड संख्या–344, 345, 361 व 362 पुर्नगठित कर क्षेत्रफल 1422.22 व.ग. का साईट प्लान जारी किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या–6 के उपबिन्दु संख्या–2(i) के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित आवासीय भू–उपयोग के स्थान पर पब्लिक एवं सेमी पब्लिक (नर्सिंग होम) उपयोग हेतु भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा में 80 फीट सड़क, दक्षिण दिशा में 30 फीट सड़क, पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या–346 एवं 360 एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड संख्या–343 एवं 363 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होनें पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 27-6-22 को जारी की गई।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जनसंपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.........1906.... दिनांक..24.6.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **निजी खातेदारी** की योजना **हरिदास नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाडा तहसील जयपुर।	628	0.1265 हैक्ट.	पदमचन्द पुत्र श्री मुन्नालाल जैन जाति महाजन सा.देह
	672	0.2656 हैक्ट.	लक्ष्मीनारायण पुत्र हजारीलाल हि. 1/2 दामोदरलाल पुत्र हजारीलाल हि. 1/2 जाति गुर्जर सा.देह

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..2.4.6.2022.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-740 27/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–5/2022/डी– 1821   दिनांक :– 27/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	–	ई–21	श्याम नगर विस्तार	श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री सुरेश चन्द शर्मा	श्री मदन चन्द सिंघवी पुत्र श्री रतन चन्द सिंघवी	मृत्यु प्रमाण पत्र
2.	–	सी–1	पंचशील कॉलोनी	श्री अनुभव चन्देल एवं श्री रूपेश चन्देल पुत्रान् श्री ताराचन्द चन्देल	श्री ताराचन्द चन्देल पुत्र श्री लादू राम चन्देल	मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा
3.	–	488	देवी नगर	श्री स्वदेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरोत्तम लाल गुप्ता	श्रीमती सावित्री देवी अग्रवाल पत्नी श्री रामावतार अग्रवाल	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग पत्र
4.	–	593	देवी नगर	श्री महेश घीया पुत्र श्री जगदीश नारायण	श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री जसूंदी सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः– 1821 27/6/22

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2022 / डी– 1820 दिनांक :– 27/6/22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	--	142 ए	स्वामी विहार	श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह राजावत	श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह राजावत	समिति की सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के कारण
2.	–	64	जे. पी कॉलोनी	श्री फतेह सिंह, प्रेम सिंह व प्रदीप सिंह पुत्रान् श्री फूल चन्द	श्री फूल चन्द पुत्र श्री लादू राम	मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा
3.	–	631–632	शांति नगर	श्रीमती इन्दिरा राठी पत्नी श्री आनन्द प्रकाश राठी	श्री मनोज कुमार सोमानी पुत्र श्री जीवराज सोमानी	सदस्यता सूची में आपत्ति दर्ज होने के कारण
4.	–	633	शांति नगर	श्री रामावतार पुत्र श्री झूंथा राम	श्री मनोज कुमार सोमानी पुत्र श्री जीवराज सोमानी	सदस्यता सूची में आपत्ति दर्ज होने के कारण
5.	–	161	स्वामी विहार	श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा	श्रीमती रमा रानी पत्नी श्री मनोहर लाल शर्मा	अपंजीकृत इकरारनामा
6.	107981	12	साकेत नगर	श्री दिनेश दत्त पाठक पुत्र श्री राम स्वरूप पाठक	श्री जगदीश प्रसाद गौतम पुत्र श्री नन्द लाल गौतम	अपंजीकृत इकरारनामा
7.	107989	12 ए	साकेत नगर	श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जैन	श्री जगदीश प्रसाद गौतम पुत्र श्री नन्द लाल गौतम	अपंजीकृत इकरारनामा
8.	108289	73	सरती नगर	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री निखिल शर्मा	श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री चरण सिंह	अपंजीकृत मुख्त्यारनामा आम
9.	105165	289	श्री गोपाल नगर	श्री निहार सेठ पुत्र श्री संजय सेठ	श्रीमती दीपा सेठ पत्नी श्री संजय सेठ	मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

PRO/R-74 27/6/22

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} फैक्स - +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 1854 दिनांकः–24/6/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की झालाना फेज–II आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–बी–32 श्री कानाराम पुत्र श्री सोनीराम को आवंटन पत्र जारी किया गया था। श्री कानाराम पुत्र श्री सोनीराम के द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा से बेचान श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री कालूराम को किया गया है। अब श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री कालूराम उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण पत्र करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

24/06/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO R-756 27/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा/उपा/जोन—11/2022/डी— 1767 दिनांक 27/6/22

सार्वजनिक सूचना

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कालूराम यादव पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2014 एवं मूल खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र, व उनके पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर पर रिंग रोड परियोजना **मुहाना** के भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

भूखण्ड संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल व.मी. में
11/ID/26	मुहाना	627
11/OE/972	मुहाना	12.50

उपरोक्त रिंग रोड परियोजना ग्राम मुहाना के भूखण्डों का आवंटन पत्र एवं लीजडीड जोन द्वारा पूर्व में खातेदार श्री बिरदाराम पुत्र महादेव यादव के पक्ष में जारी की गयी थी।

खातेदार श्री बिरदाराम पुत्र महादेव यादव के मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 17.12.2019 द्वारा श्रीमती मोहरी देवी पत्नी स्व. श्री बिरदीचन्द एवं श्रीमती बीदामी देवी, श्रीमती मंजू देवी पुत्रियां स्व. श्री बिरदाराम उर्फ बिरदी चन्द (पुत्री) एवं श्री मुन्नालाल एवं श्री रामकुंवार पुत्रान् स्व. श्री बिरदाराम उर्फ बिरदी चन्द (पुत्र) के द्वारा श्री कालूराम यादव पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द को रिंग रोड परियोजना के ग्राम मुहाना के उपरोक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना जारी दिनांक से 7 दिवस की अवधि में हक हुकूक स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन 11, जविप्रा, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार क्रेता/हस्तान्तरिती के हक में नाम हस्तानानतरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

यह सूचना दिनांक 27/6/22 को जारी गई है।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री कालूराम यादव पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द निवासी— ग्राम पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन—11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-743
27/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / जोन –7 / 2022 / डी–1249 दिनांक : 24.6.22

प्रस्तावित भू–उपयोग उपान्तरण

प्रार्थी मेजर बी.के. रेप्सवाल पुत्र कर्नल जे.एस. रेप्सवाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या बी–2 / 425 क्षेत्रफल 310.51 वर्ग मीटर चित्रकूट योजना की जविप्रा द्वारा लीजडीड क्रमांक 96 दिनांक 23.5.97 को जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–6 के उप बिन्दु संख्या 2 (iii) के क्रम में भू–उपयोग आवासीय से Clinical laboratory में प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड़ के जारी साईट प्लान अनुसार उक्त भूखण्ड़ के पूर्व दिशा की ओर– 18.0 मीटर रोड़ है, पश्चिमी दिशा की ओर– भूखण्ड सं. 424 है, उत्तर दिशा की ओर– 9.0 मीटर रोड़ है तथा दक्षिण दिशा की ओर– भूखण्ड संख्या 426 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस आम सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 24.6.22 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रस्तावित उपान्तरण का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-744
27/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी–1246 दिनांकः– 24.6.22

आम–सूचना

श्री गणपति गृ.नि.स.रा. की योजना गणेश नगर, निवारू रोड़ के भूखण्ड संख्या 798 की लीजडीड जारी करने हेतु श्री वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी द्वारा आवेदन किया गया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड़ का पट्टा श्री वेद प्रकाश सैनी के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेंगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

PRO/R-7415
27/6/22

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स– 0141–2569696 एक्सटेंशन : 8260, फैक्स +91–141–257455

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1245 दिनांकः– 24.6.22

आम–सूचना

श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश नगर, निवारू रोड़ के भूखण्ड संख्या 763 की लीजडीड जारी करने हेतु श्री वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी द्वारा आवेदन किया गया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड़ का पट्टा श्री वेद प्रकाश सैनी के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेंगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-746
27/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी–1247 दिनांक 24/6/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रासबिहारी गोयल द्वारा भूखण्ड संख्या 143 योजना विघुत नगर–सी का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती गीता देवी गोयल को जारी किया गया था। श्रीमती गीता देवी गोयल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयत की प्रति तथा अपंजीकृत वसीयत में प्रयुक्त दो गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-747
27/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी–1251

दिनांक 24/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दलजीत सिंह साहनी द्वारा योजना–गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–'ए', जयपुर के भूखण्ड संख्या–ए–94 फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–'ए', जयपुर के भूखण्ड संख्या–ए–94 का फ्री होल्ड पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-748
27/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक जविप्रा / उपा / जोन–7 / 2022 / डी– 1262 दिनांक 27/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री सुल्तान राम पिलानियां द्वारा भूखण्ड संख्या 33 एवं श्री दिवेश पिलानियां पुत्र श्री सुल्तान राम पिलानियां द्वारा भूखण्ड संख्या 34 योजना–स्कीम नम्बर–10, केशोपुरा का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थीगण द्वारा सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–स्कीम नम्बर–10, केशोपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्या–33 व 34 का फ्री होल्ड पट्टा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-749
27/6/22

Scanned with CamScanner